



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

Email ID- cdowdrkt@gmail.com

पत्रांक 958 / 18सी0

दिनांक, 02/6/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोडा वन प्रभाग अल्मोडा

विषय:- जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत कुनिगाड-हिरुली बाजार से रामपुर चौखुटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.35 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड को लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक 8वीं/यू०सी०पी०/०६/११८/२०१५/एफ०सी०/१८३५ दिनांक २.१२.२०१८

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक मार्ग के वन भूमि प्रस्तावों पर निम्न आपत्तियां लगायी गई थीं। जिनका निराकरण बिन्दुवार कर आपको प्रेषित किया जा रहा है।

क्रम स०	आपत्ति	निराकरण
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि ग्राम भटकोट में उपलब्ध न होने के कारण उसके स्थान पर ग्राम नैणी सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन कराया गया है। किन्तु सम्बन्धित दस्तावेजों को ऑनलाईन वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि ग्राम भटकोट में उपलब्ध न होने के कारण उसके स्थान पर ग्राम नैणी सिविल भूमि को राजस्व विभाग द्वारा दिनांक ७.०८.२०२४ को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन करा सम्बन्धित दस्तावेजों को ऑनलाईन वेब पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
2	CA SCHEME OWNERSHIP PROOF उपयुक्ता प्रमाण पत्र एवं सभी दस्तावेजों की मूल प्रति खतौनी के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करेगी। साथ ही सभी दस्तावेजों तथा के०एम०एल० फाईल को ऑनलाईन वेब पोर्टल के पैरा एल के पार्ट १ तथा पैरा १३ के पार्ट ११ पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। ताकि संसोधित सी०ए० ऐरिया का डी०एस०एस० किया जा सके।	CA SCHEME OWNERSHIP PROOF उपयुक्ता प्रमाण पत्र, कब्जा प्रमाण पत्र एवं सभी दस्तावेजों की मूल प्रति खतौनी के साथ इस कार्यालय में प्रेषित की जा रही है। साथ ही सभी दस्तावेजों तथा के०एम०एल० फाईल को ऑनलाईन वेब पोर्टल के पैरा एल के पार्ट १ तथा पैरा १३ के पार्ट ११ पर भी अपलोड कर दी गई है।
3	सम्बन्धित सभी दस्तावेजों की औरिजन हार्ड कापी इस कार्यालय को प्रेषित करेगी।	सम्बन्धित सभी दस्तावेजों की औरिजन हार्ड कापी ३-३ प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

अतः निवेदन है कि उक्त आपत्तियों की अनुपालन आख्या अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करे।

पत्रांक 958 / 18 सी०

तददिनांकित।

- प्रतिलिपि - मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि - सहायक अभियन्ता, तृतीय निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोडा।

आवश्यक / महत्वपूर्ण

संख्या 417 / ग्यारह-एलओएसीओ / 23 24 दिनांक 25 जुलाई 2024

तहसीलदार
द्वाराहाट।

विषय:

कुनीगाड - हिरुली बाजार से रामपुर चौखुटिया मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध सिविल सोयम भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद कराने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत क पत्राक संख्या 1617/18सी, दिनांक 18-7-2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत विषयांकित मोटर मार्ग में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम नैणी, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र पैठानी, तहसील द्वाराहाट के अन्तर्गत गै0ज0वि0ख0ख0 संख्या-21 श्रेणी 9(3)ड की कुल 2.700 है0 भूमि आदेश संख्या 4360/ग्यारह-14/2017-18, दिनांक 04-06-2018 द्वारा वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित की गयी है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं है। उक्त सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित करते हुए खतौनी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। ताकि तदनुसार ही प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा सकें।

अतः प्रकरण में आदेश संख्या 4360/ग्यारह-14/2017-18, दिनांक 04-06-2018 के अनुपालन में नियमानुसार अमलदरामद की कार्यवाही करते हुए खतौनी नकल की प्रति तत्काल संयुक्त विभाग को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें। ताकि तदनुसार ही विभाग द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।
संलग्न-यथोक्त।

प्रभारी अधिकारी,

कृते, जिलाधिकारी, अल्मोडा।

प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी, द्वाराहाट को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग रानीखेत को

उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभारी अधिकारी,

कृते, जिलाधिकारी, अल्मोडा।

संशोधित

कार्यालय उप जिलाधिकारी भिकियासैण।

संख्या- 616/विविध-संयु0निरी0/2024-25 दिनांक 09 मई, 2025

- 1-तहसीलदार,
भिकियासैण (अध्यक्ष)
- 2-सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0 निर्माण खण्ड रानीखेत (सदस्य)।
- 3-अधिशारी अधिकारी,
नगर पंचायत भिकियासैण (सदस्य)।
- 4-सहायक अभियन्ता,
सिंचाई विभाग रानीखेत (सदस्य)।
- 6-वन क्षेत्राधिकारी,
वन क्षेत्र द्वाराहाट (सदस्य)।
- 7-थानाध्यक्ष,
भतरौजखान (सदस्य)।

कार्यालय सं० 2702
फाइल सं० 22 सी०
दिनांक 13/5/25

विषय- भिकियासैण के नगरीय क्षेत्र व मुख्य बाजार में अतिक्रमण के चिन्हीकरण के सम्वन्ध में।

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के आदेश संख्या-560/विविध-अवैध अति0जांच/2025 दिनांक 22.04.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत जिला अधिकारी महोदय अल्मोडा द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुपालन में तहसील भिकियासैण एवं स्याल्दे अन्तर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय भूमि एवं वन, नदी, गंधेरा, नाले, नहर, गूल एवं मोटर मार्ग आदि की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की जांच किए जाने हेतु सम्वन्धित तहसीलदारों की अध्यक्षता में टीम गठित की गयी है। वर्तमान में अध्यक्ष व्यापार मण्डल भिकियासैण द्वारा भिकियासैण मुख्य बाजार में ट्रैफिक जाम होने से आवागमन में कठिनाई होने का उल्लेख करते हुए आवश्यक कार्यवाही किए जाने अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में भिकियासैण के नगरीय क्षेत्र एवं मुख्य बाजार क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण की जांच हेतु दिनांक 15.05.2025 (प्रातः 11 बजे) की तिथि नियत की जाती है।

उपरोक्त तिथि को मौके पर ससमय उपस्थित होकर अवैध अतिक्रमण चिन्हीकरण आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(सीमा विश्वकर्मा)

उपजिलाधिकारी, भिकियासैण।

प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय अल्मोडा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशारी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 रानीखेत को इस आशय के साथ प्रेषित कि नामित सहायक अभियन्ता को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत को इस आशय के साथ प्रेषित कि सम्वन्धित को अपने स्तर से भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. पुलिस उपाधीक्षक रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यालय प्रति।

(सीमा विश्वकर्मा)

उपजिलाधिकारी, भिकियासैण।

अवैध अतिक्रमण
13-5-2025
CA-0
(सीमा विश्वकर्मा)
उपजिलाधिकारी, भिकियासैण।
अवैध अतिक्रमण
13-5-2025
CA-0
(सीमा विश्वकर्मा)
उपजिलाधिकारी, भिकियासैण।
अवैध अतिक्रमण
13-5-2025
CA-0
(सीमा विश्वकर्मा)
उपजिलाधिकारी, भिकियासैण।

कब्जा प्रमाण पत्र

मार्ग का नाम:- जनपद अल्मोडा में राज्य योजना के अन्तर्गत कुनीगाड-हिरुली बाजार से रानपुर चौखुटिया मोटर मार्ग।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सौयम भूमि ग्राम-नैणी तहसील-द्वाराहाट जिला-अल्मोडा में श्रेणी 9(3)ड0 खाता स0 21 खेत न0 1509 मध्ये 2.188 है0 खेत स0 1511 मध्ये 0.512 है0 कुल 2.70 है0 भूमि का सीमांकन के उपरान्त वन विभाग के कब्जे में ले लिया गया है।

कब्जा दिया गया
24/05/2024

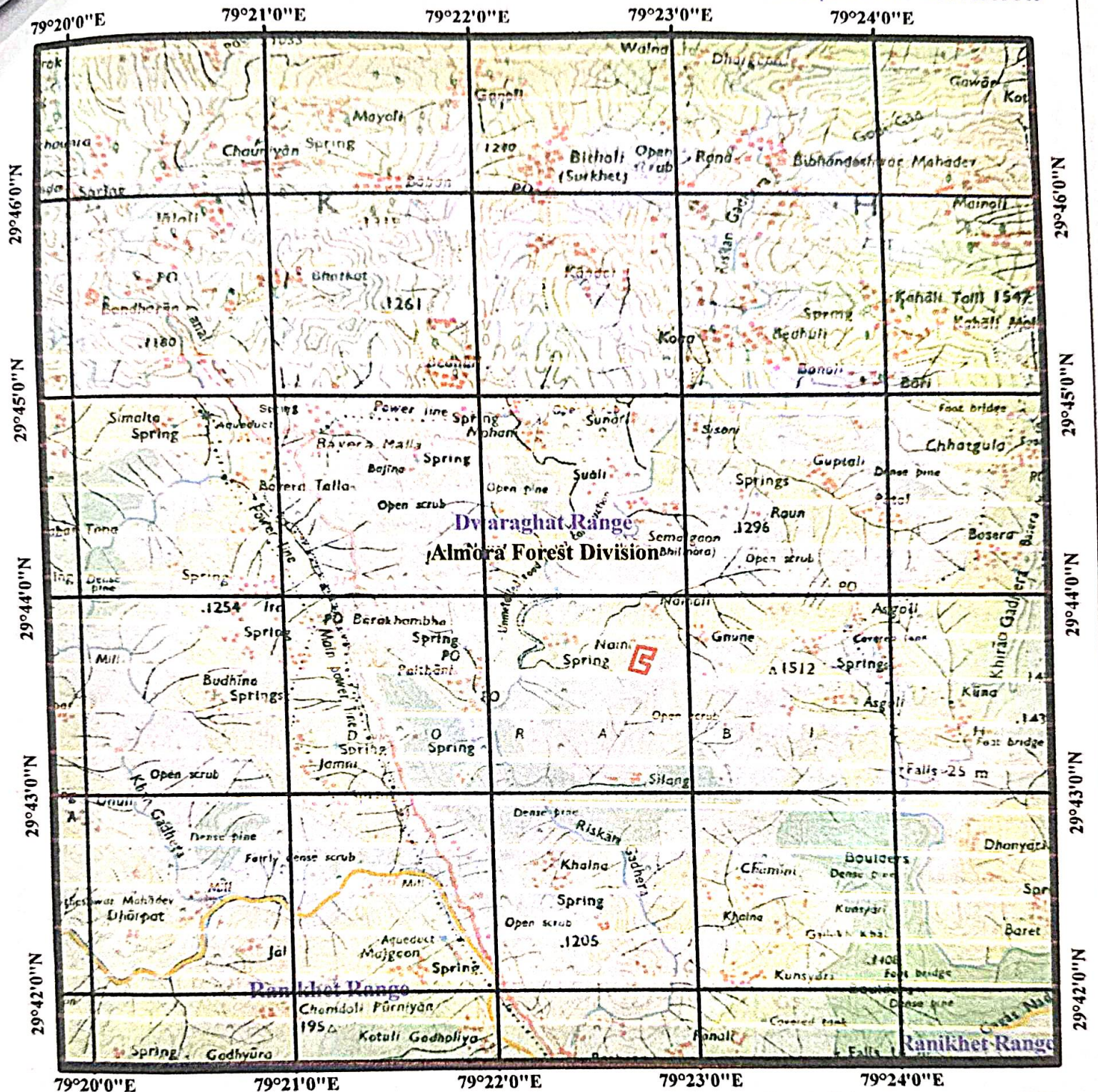
प्रस्तावक विभाग

RA. H.
क. द.

कब्जा लिया गया
वन विभाग

जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत कुनीगाड-हिरुली बाजार से रामपुर चाखुट्या मार्ग के निर्माण हेतु 1.35 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में

SOI Toposheet No: 53006 & 53005



Legend

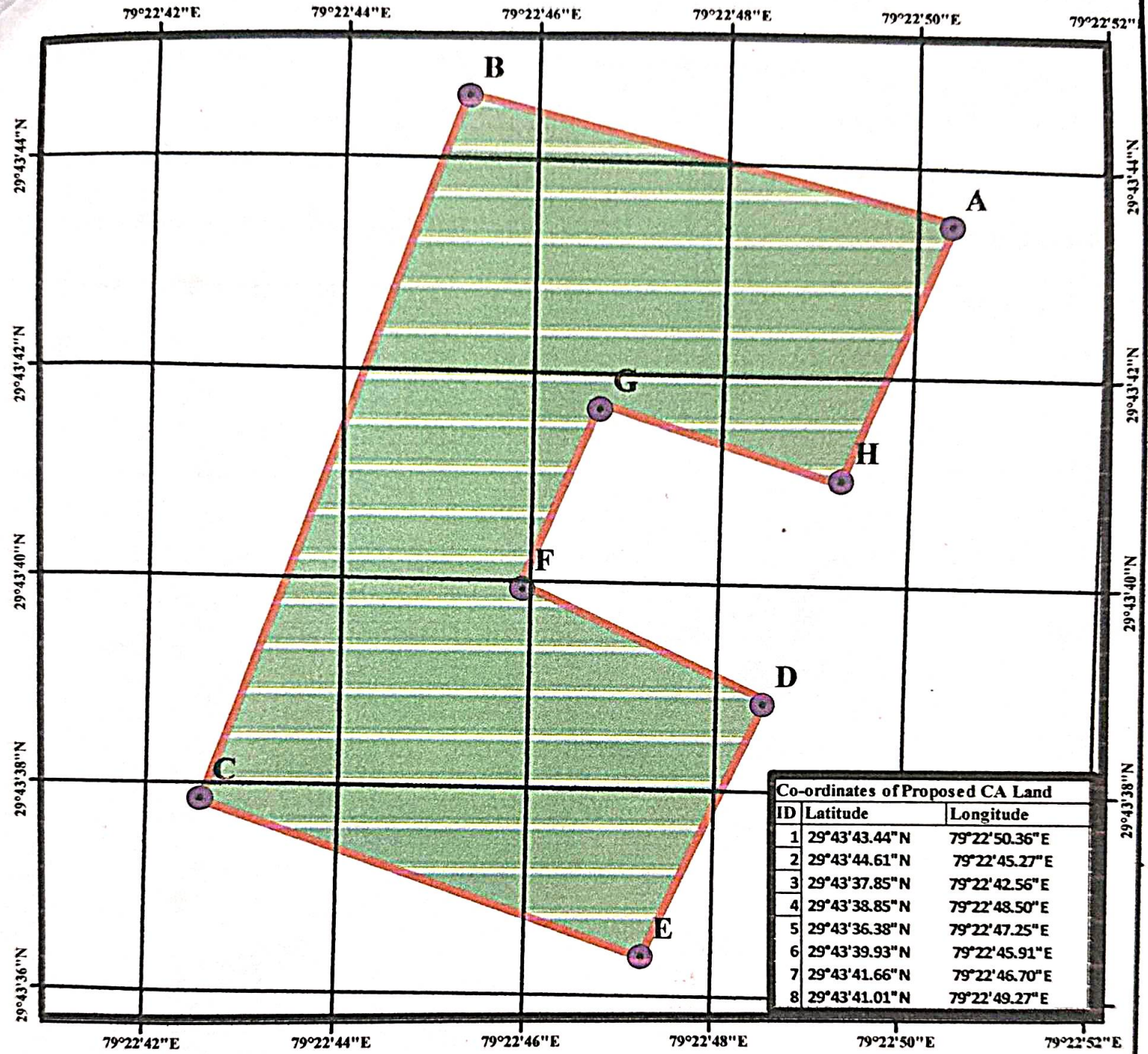
- Propose Land
- Division_Boundary
- Range_Boundary
- Reserve_Forest Boundary
- Reserve_Forest Area



Handwritten signatures and initials: *Rebel*, *ATB*, *AB*, *EB*

Prepared by: UFTA, Haldwani

ग मैप - जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत कुनीगाड-हिरुली बाजार से रामपुर चौखुटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.35 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में



Co-ordinates of Proposed CA Land

ID	Latitude	Longitude
1	29°43'43.44"N	79°22'50.36"E
2	29°43'44.61"N	79°22'45.27"E
3	29°43'37.85"N	79°22'42.56"E
4	29°43'38.85"N	79°22'48.50"E
5	29°43'36.38"N	79°22'47.25"E
6	29°43'39.93"N	79°22'45.91"E
7	29°43'41.66"N	79°22'46.70"E
8	29°43'41.01"N	79°22'49.27"E



Scale - 1:1600

Legend



CA Propose land GPS Point



CA Propose Land

Prepared by: UFTA, Haldwani

कब्जा प्रमाण पत्र

मार्ग का नाम:- जनपद अल्मोडा में राज्य योजना के अन्तर्गत कुनीगाड-हिरुली बाजार से रामपुर चौखुटिया मोटर मार्ग।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि ग्राम-नैणी तहसील-द्वाराहाट जिला-अल्मोडा में श्रेणी 9(3)ड0 खाता स0 21 खेत न0 1509 मध्ये 2.188 है0 खेत स0 1511 मध्ये 0.512 है0 कुल 2.70 है0 भूमि का सीमांकन के उपरान्त वन विभाग के कब्जे में ले लिया गया है।

कब्जा दिया गया
24/05/2024

प्रस्तावक विभाग

BA. H.
क. ह.

कब्जा लिया गया
वन विभाग

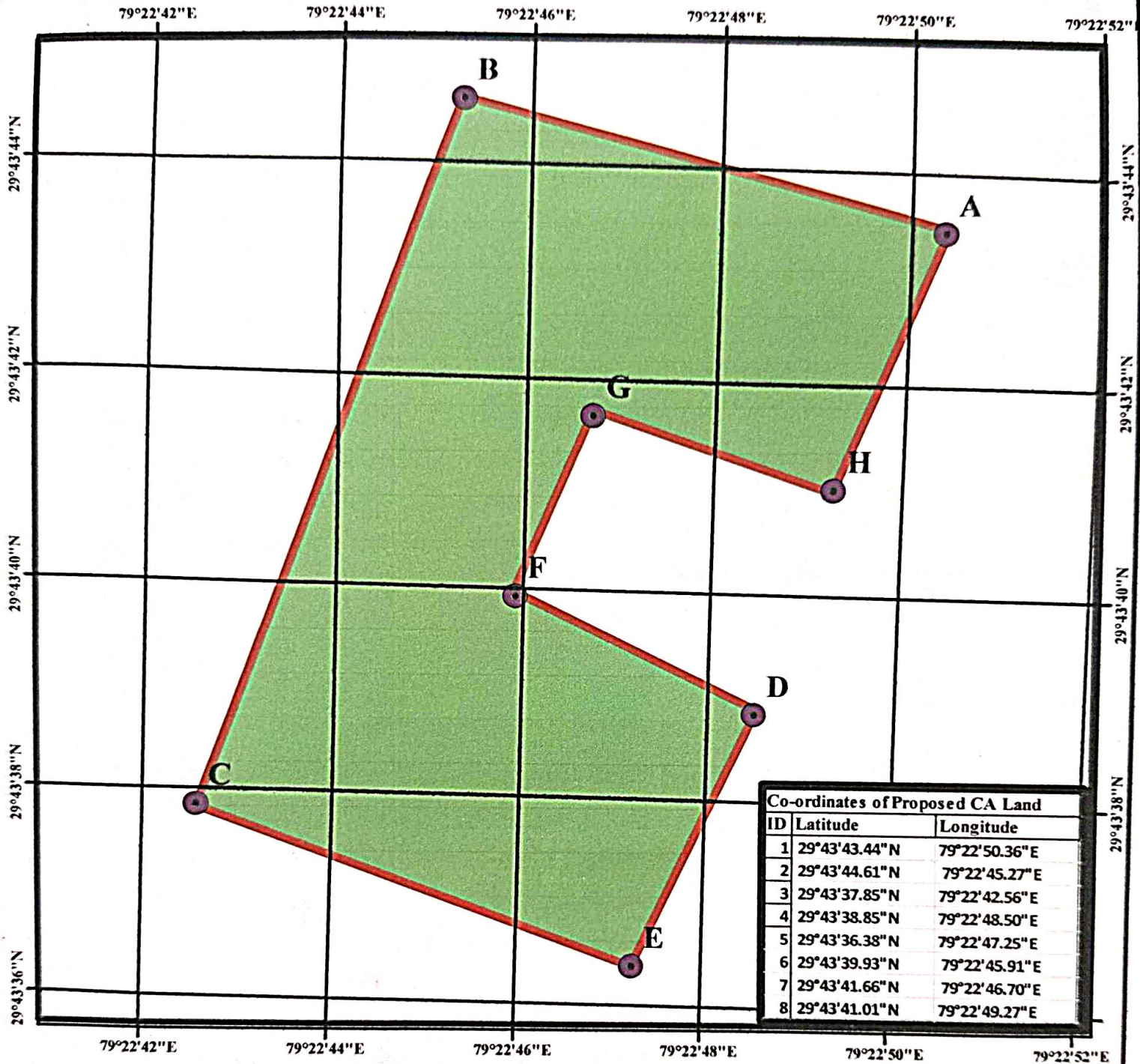
सेवा में शामिल तहसीलदार महोदय तहसील-दाराहाट ।

विषय- जनसद अल्मोड़ा में विनायक-सिखाड-कोटियाल तब मारु गांधी हेतु 2.70 हेक्टेयर
वन शीम के गैर कानूनी कब्जा हेतु लोनीमि.गै.को प्रत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय, आपकी कार्यालय आदेश संख्या-120/वि. 2024-2025 दि. 14-10-2024 के अनुषंग में
श्री राम-नैनी रा.उ. नि. क्षेत्र-पहानी तहसील-दाराहाट जिला-अल्मोड़ा की गैर ज. व.
वि. स्वतन्त्र स्वामि संख्या-21 के खेत नं. 1555 अ. 5.400 हेक्टेयर शीम जैनी 935 अ.
वजह काबिल आकार शीम के क्षेत्र में सिविल शीम आदेश संख्या 4359/वि. 13/2017-18 दि. 4-6-2018 के अनुषंग में उक्त शीम को प्रतिपक्ष वृक्ष रोपण हेतु
वन विभाग के नाम ग्राम-नैनी की गैर ज. वि. स्वतन्त्र में अथवा दराभत किया,
अतः उपरोक्त ग्राम-नैनी रा.उ. नि. क्षेत्र-पहानी तहसील-दाराहाट
की गैर ज. वि. स्वतन्त्र स्वामि संख्या-21 में अथवा दराभत किया, जिसकी
स्वतन्त्र नक्का संलग्न है,

इससे अहमद
राज. स्व. उपनि. ~~...~~
क्षेत्र का. ड. ~~...~~
तहसील ~~...~~ जिला ~~...~~
दाराहाट
11/10/24
दि. 18/10/24

सिंग मैप - जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत कुनीगाड-हिरुली बाजार से रामपुर चौखुटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.35 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में



Co-ordinates of Proposed CA Land

ID	Latitude	Longitude
1	29°43'43.44"N	79°22'50.36"E
2	29°43'44.61"N	79°22'45.27"E
3	29°43'37.85"N	79°22'42.56"E
4	29°43'38.85"N	79°22'48.50"E
5	29°43'36.38"N	79°22'47.25"E
6	29°43'39.93"N	79°22'45.91"E
7	29°43'41.66"N	79°22'46.70"E
8	29°43'41.01"N	79°22'49.27"E

Legend

-  CA Propose land GPS Point
-  CA Propose Land

0 0.0125 0.025 0.05 0.075 0.1

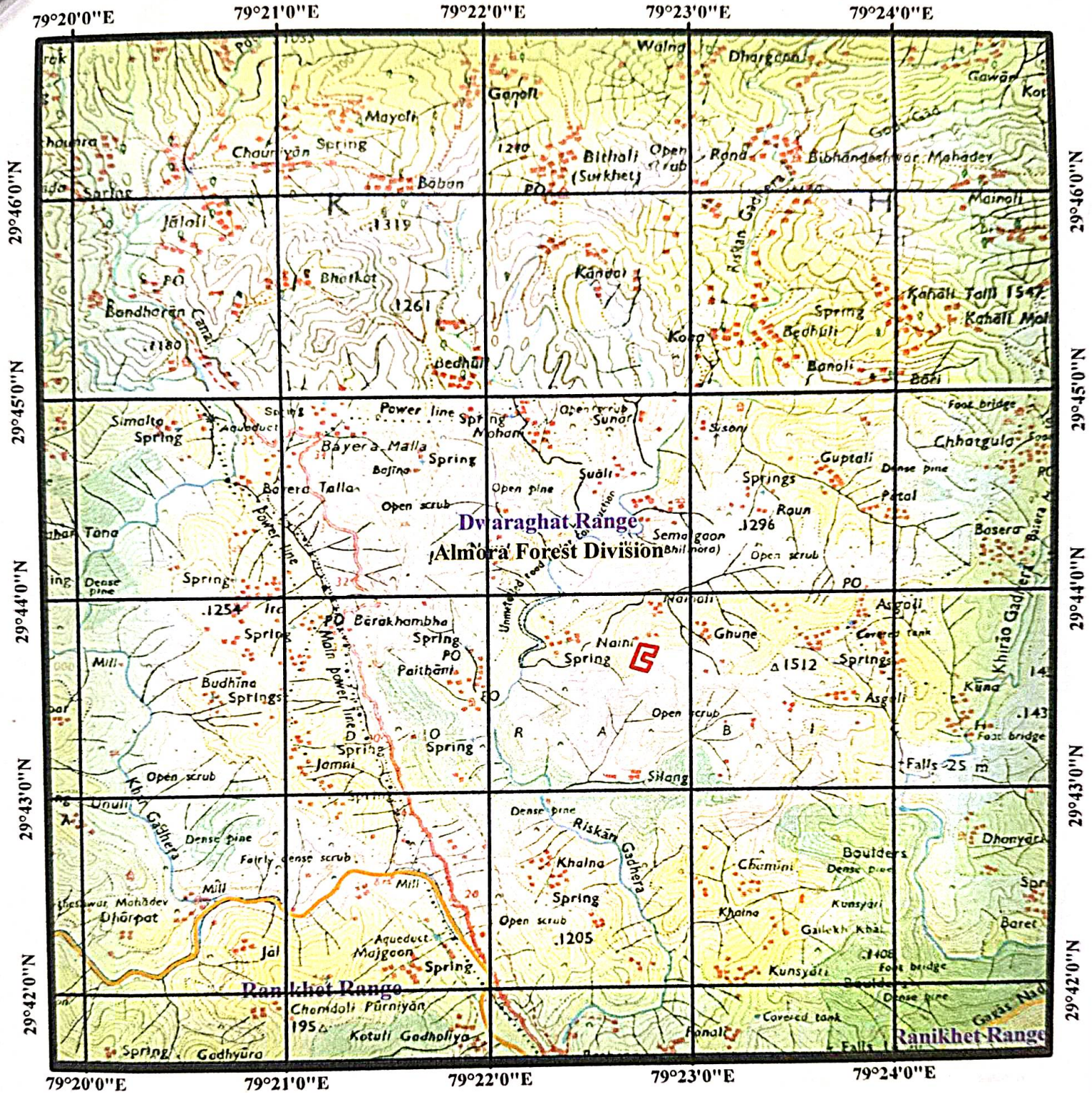
Kilometers

Scale - 1:1600

जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत कुनीगाड-हिरुली बाजार से रामपुर चौखुटिया
 रूट मार्ग के निर्माण हेतु 1.35 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो० नि० वि०
 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में



SOI Toposheet No: 53006 & 53005



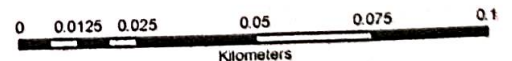
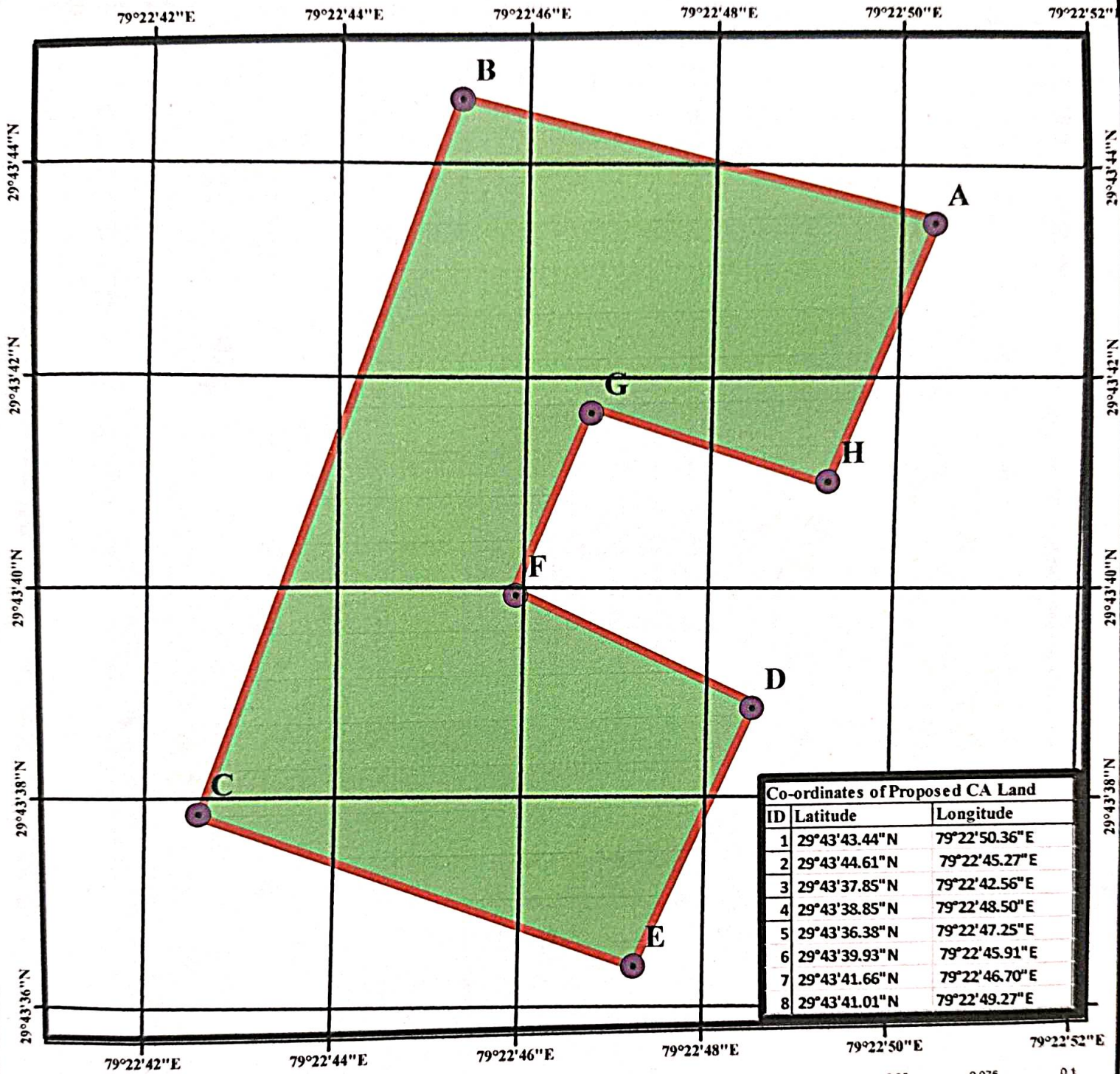
Legend

- Propose Land
- Division_Boundary
- Range_Boundary
- Reserve_Forest Boundary
- Reserve_Forest Area



Prepared by: UFTA, Haldwani

सिंग मैप - जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत कुनीगाड-हिरुली बाजार से रामपुर चौखुटिया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.35 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में



Scale - 1:1600

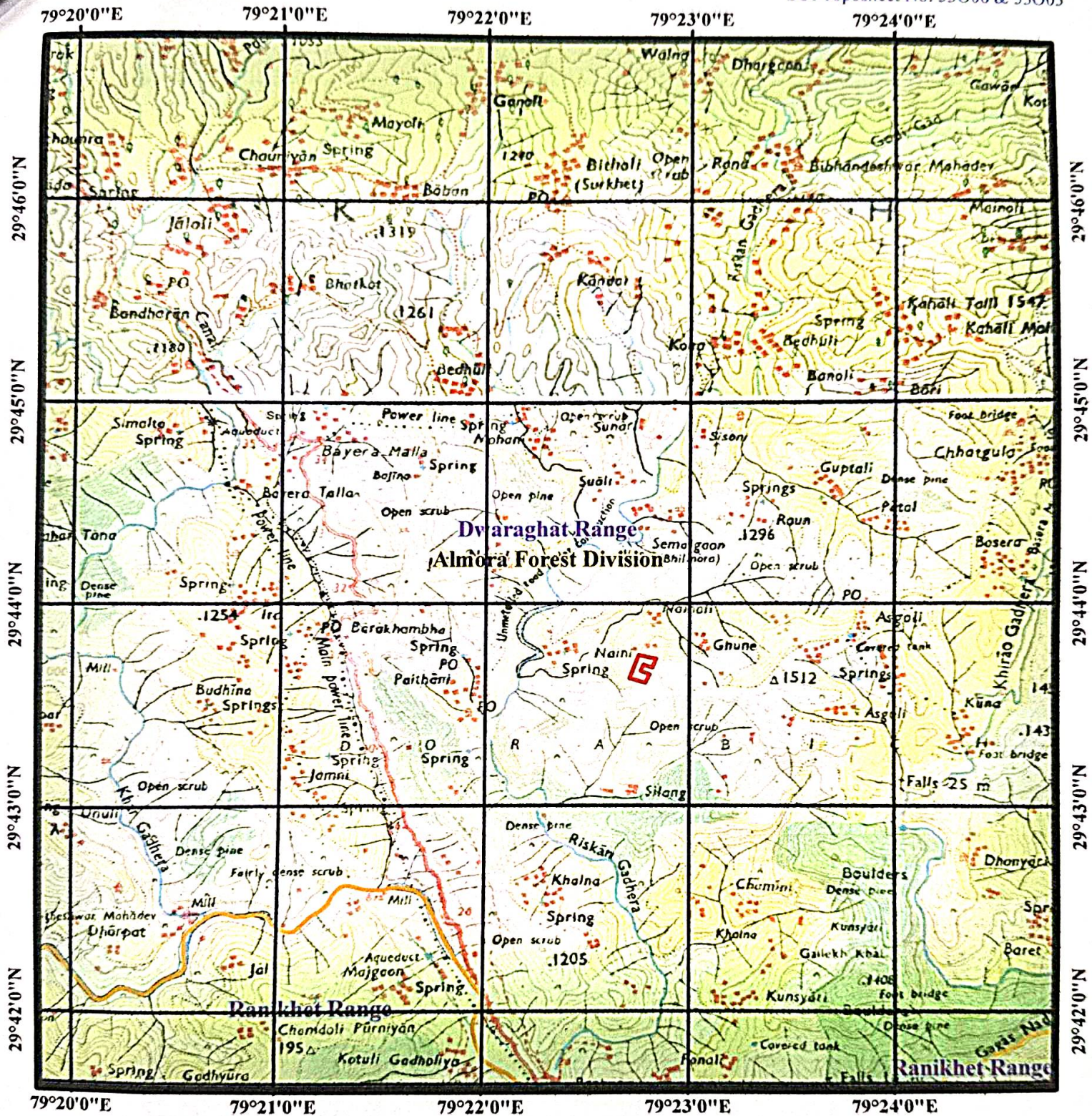
Legend

- CA Propose land GPS Point
- CA Propose Land

Prepared by:UFTA, Haldwani

जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत कुनीगाड-हिरुली बाजार से रामपुर चौखुटिया
 र मार्ग के निर्माण हेतु 1.35 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो० नि० वि०
 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में

SOI Toposheet No: 53006 & 53005



Legend

- Propose Land
- Division_Boundary
- Range_Boundary
- Reserve_Forest Boundary
- Reserve_Forest Area

